

वशिषः सशस्त्र बल वशिषाधिकार कानून (AFSPA)

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शोपियां गोलीकांड की घटना के बाद धारा 302 और 307 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी, जिसमें मेजर आदित्य का भी नाम था, क्योंकि फायरिंग करने वाली टुकड़ी का वह नेतृत्व कर रहे थे। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सहि (रटायर्ड) ने सेना के खिलाफ FIR को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि सशस्त्र बल वशिषाधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Power Act-AFSPA) के तहत आने के कारण उनके पुत्र पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य के खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की जाँच पर रोक लगा दी। इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि मेजर आदित्य का नाम आरोपियों के कॉलम में शामिल नहीं है। इस घटना के बाद AFSPA जैसे संवेदनशील कानून का मुद्दा एक बार फरि सतह पर आ गया।

वदिति हो कि 27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गाँव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों के गोली चलाने से तीन नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना की जाँच के आदेश दिये थे। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल रायफल्स के 10 कर्मियों के खिलाफ **रणबीर दंड संहिता** की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नोट: भारत के जम्मू-कश्मीर में रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू है, जिसे रणबीर आचार संहिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 370 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय दंड संहिता (IPC) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश काल से ही इस राज्य में रणबीर दंड संहिता लागू है। दरअसल, भारत के आजाद होने से पहले जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था और उस समय वहाँ डोगरा राजवंश का शासन था। महाराजा रणबीर सहि वहाँ के शासक थे, इसलिए 1932 में महाराजा के नाम पर रणबीर दंड संहिता लागू की गई थी। कुछ बदलावों के साथ यह संहिता थॉमस बैबटिन मैकॉले की भारतीय दंड संहिता के ही समान है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

अफ़्स्पा का इतहास

- सशस्त्र बल वशिषाधिकार अधिनियम (AFSPA) 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा तीन माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था।
- **1958 और इसके बाद, पूरवोत्तर भारत:** भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूरवोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हसिा और वदिशी आक्रमणों से प्रतरिक्षा के लयि मणपुरि और असम में 1958 में AFSPA लागू किया गया था।
- इसे 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणपुरि, त्रपुरिा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम और नगालैंड सहित समस्त पूरवोत्तर भारत में लागू किया गया था। इन राज्यों के समूह को Seven Sisters के नाम से जाना जाता है।
- त्रपुरिा में उग्रवादी हसिा के चलते 16 फरवरी 1997 को AFSPA लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद मई 2015 में हटा लिया गया था।
- **1983, पंजाब एवं चंडीगढ़:** पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हसिक आंदोलन से नपिटने के लयि सेना की तैनाती का रास्ता साफ करते हुए 1983 में केंद्र सरकार द्वारा अफ़्स्पा (पंजाब एंड चंडीगढ़) अध्यादेश लाया गया जो 6 अक्टूबर को कानून बन गया। यह कानून 15 अक्टूबर, 1983 को पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया। लगभग 14 वर्षों तक लागू रहने के बाद 1997 में इसे वापस ले लिया गया।
- **1990, जम्मू-कश्मीर:** जम्मू-कश्मीर में हसिक अलगाववाद का सामना करने के लयि सेना को वशिष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया, जिसे 5 जुलाई, 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया।
- इस कानून के पारति होने से पहले भी उसी वर्ष एक अध्यादेश जारी किया गया था। तब से आज तक जम्मू-कश्मीर में यह कानून लागू है, लेकिन राज्य का लेह-लददाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता।

कब माना जाता है कोई क्षेत्र अशांत

- AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रपौरट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है।
- वभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या वविादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत

घोषति करती है।

- AFSPA अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र (गज़ट) पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात् केंद्र को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मलि जाता है।
- अशांत क्षेत्र (वशिष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार अशांत घोषति होने पर क्षेत्र में न्यूनतम तीन माह के लिये यथास्थति बनाए रखनी होगी।
- राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि इस अधिनियम को लागू कया जाना चाहिये अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा-3 के तहत उनके सुझाव को संज्ञान में लेने अथवा न लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास है।

असीमति शक्तियाँ मलि जाती हैं सशस्त्र बलों को

- इस कानून की धारा-4 के अनुसार, सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है।
- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है।
- यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी।
- सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बनिा किसी वारंट के गरिफ्तार कर सकते हैं। गरिफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- सैन्य अधिकारी परिवार के किसी व्यक्ति, संपत्ति, हथियार या गोला-बारूद को बरामद करने के लिये बनिा वारंट के घर के अंदर ज कर तलाशी ले सकता है और इसके लिये बल प्रयोग कर सकता है।
- किसी वाहन को रोककर गैर-कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है।
- यदि किसी व्यक्ति को गरिफ्तार कया जाता है तो उसको जल्द ही नकिटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है कि उसको क्यों गरिफ्तार कया गया।

सरकार और सेना AFSPA के समर्थन में

केंद्र सरकार और सेना AFSPA वाले क्षेत्रों में सेना की ताकत घटाने के पक्षधर नहीं हैं। इसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय में तब हुई थी, जब 8 जुलाई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA के अंतर्गत सुरक्षा बलों को दिये जाने वाले वशिष सुरक्षा अधिकारों को नरिस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जनि क्षेत्रों में AFSPA लागू है वहां अशांत के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कयि जाने वाले एनकाउंटर में होने वाली मौतों के लिये FIR को अनविरय कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि सेना और अर्द्धसैनिक बल उन इलाकों में अतशिय बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ AFSPA लगा हो।

इसके जवाब में सरकार ने तर्क दिया था कि यदि ऐसा हुआ तो अशांत वाले क्षेत्रों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान सेना द्वारा की गई कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। सेना को पूरी ताकत के साथ अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई करने की छूट होनी चाहिये। सेना जब हथियारों से लैस उपद्रवियों का सामना कर रही हो तो उसे अपने ताकत के इस्तेमाल की छूट होनी ही चाहिये। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि यदि कोई सैनिक किसी आतंकी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो और उसे FIR कयि जाने का भय बना रहे तो आतंकियों के खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरकार का यह भी तर्क है कि किसी ऑपरेशन के दौरान सेना द्वारा की गई कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता।

(टीम दृष्टि इनपुट)

1947 में जारी हुए थे 4 अध्यादेश

- 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दमन के लिये ब्रिटिश शासन ने 15 अगस्त, 1942 को एक अध्यादेश जारी कया था, जिसमें सैन्य बलों को आंदोलनकारियों के वरिद्ध कार्रवाई के लिये वशिषाधिकार दिये गए थे।
- देश वभिजन और आज़ादी के बाद 1947 में तात्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिये इसी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप चार अलग-अलग अध्यादेश बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में आंतरिक शांति की बहाली के लिये लाए गए थे।
- 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मलिाकर एक समग्र सशस्त्र सेना वशिषाधिकार कानून बनाया। इसे 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दमन के लिये ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए अध्यादेश की तर्ज़ पर बनाया गया था, जिसमें सैन्य बलों को कार्रवाई के लिये वशिषाधिकार दिये गए थे।
- इस कानून को भारत सरकार ने 1957 में नरिस्त कर दिया था।

AFSPA के पक्ष और वपिक्ष में तर्क

पक्ष: इस कानून के समर्थक कहते हैं कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस कानून द्वारा मलिी शक्तियों के कारण प्रभावशाली तरीके से काम कर पाते हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखंडता की रक्षा में योगदान दे रहा है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कानून के माध्यम से मलिे अतरिक्ति अधिकारों के कारण सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है।

वपिक्ष: इसके वरिधी यह तर्क देते हैं कि इस कानून के माध्यम से मलिी शक्तियों का सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं। सशस्त्र बलों को मलिी अत्यधिक शक्तियाँ उन्हें असंवेदनशील और गैर-पेशेवर बनाती हैं। उन पर फ्रज़ी एनकाउंटर, योन उत्पीड़न आदि के आरोप भी लगते रहे हैं। यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के साथ नागरिकों के मूल अधिकारों का नलिंबन करता है जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। आलोचक यह तर्क भी देते हैं कि लागू होने

के दशकों बाद भी यह अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया, अतः इसे हटा देना चाहिये। AFSPA की समीक्षा के लिये वर्ष 2004 में बनी समिति ने इस कानून को नरिस्त करने की अनुशंसा की तथा इसे दमन, घृणा और शोषण का प्रतीक माना। एक तरफ 50 से अधिक वर्षों में यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तो दूसरी तरफ इसके द्वारा होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई है।

(टीम दृष्टाइनपुट)

संयुक्त राष्ट्र दे चुका है AFSPA रद्द करने की सलाह

AFSPA के लागू होने की बहुत आलोचनाएँ भी हुई हैं। मानवाधिकार संगठन इस कानून को 'बेरहम' तक बता चुके हैं। 31 मार्च, 2012 को संयुक्त राष्ट्र के न्यायेतर व मनमाने आचरण मामलों के विशेष प्रतिवेदक क्रिस्टोफर हेंस ने भारत से आग्रह किया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में AFSPA का कोई स्थान नहीं है इसलिये इसको रद्द कर दिया जाए। यह रिपोर्ट 2013 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश की गई थी। **ह्यूमन राइट्स वॉच** भी यह कहते हुए इस कानून की आलोचना करता रहा है कि इसमें दुरुपयोग, भेदभाव और दमन की पर्याप्त संभावनाएँ शामिल हैं।

बी.पी. जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट

2004 में असम राइफलस की हरिसत में मणपुरि में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला की हत्या के बाद हुए आंदोलन के मद्देनजर तत्कालीन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

- इस समिति ने 2005 में दी अपनी अनुशंसाओं में इस कानून को 'दमन का प्रतीक' बताते हुए इसे नरिस्त करने की सफारिश की थी।
- बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने 6 जून 2005 को अपनी 147 पन्नों की रिपोर्ट में सफारिश की गई थी, 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, 1958 को नरिस्त करना चाहिये। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह कानून दमन का प्रतीक बन गया है'।
- समिति ने कहा था, 'यह बेहद वांछनीय और उपयुक्त परामर्श देने योग्य है कि कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये कि इस क्षेत्र (पूर्वोत्तर) की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि सेना वहां बनी रहे (हालाँकि कानून हटा लिया जाना चाहिये)।'
- लेकिन सेना और रक्षा मंत्रालय ने इस कानून को नरिस्त करने का वरिध करते हुए इस समिति की सफारिशों को खारिज कर दिया था।
- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त घटना के वरिध में इरोम शर्मिला ने अपना बहुचर्चित अनिश्चितकालीन अनशन किया था, जो 2016 में समाप्त हुआ।

(टीम दृष्टाइनपुट)

नबिकर्ष: AFSPA को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में लेकर आई शोपियां गोलीकांड की घटना पर सेना ने भी अपनी यूनिट के खिलाफ FIR को गलत बताते हुए कहा कि जवानों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सहि (रटियर्ड) ने कहा कि उनके पुत्र को AFSPA के तहत इस प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार है। इससे एक बार फिर समय-समय पर सरि उठाने वाला AFSPA का मुद्दा सतह पर आ गया है, अर्थात् आम नागरिकों के अधिकार और सैन्यकर्मियों के अधिकार तथा AFSPA की उपयोगिता और व्यवहार्यता का मुद्दा। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में AFSPA की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि अशांत क्षेत्रों में दशकों से लागू होने के बावजूद यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिये मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा तो की ही जा सकती है।